



POLICE COMMISSIONERATE



PRAYAGRAJ

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 23.09.2024

कमिश्नरेट प्रयागराज के थाना करैली के मु0अ0सं0 41/2020 धारा 363/376ए,बी भा0द0वि0 व 5ड/6 पाक्सो एक्ट व 3(2) (5ए) व 3(1) (12) एससी/एसटी एक्ट के अभियोग में दोष सिद्धि का विवरण-

- 1- दिनांक- 03.02.2020 को अभियुक्त सलमान पुत्र कमरुद्दीन निवासी झोपड़ पट्टी नया रसूलपुर थाना करैली जनपद प्रयागराज के विरुद्ध थाना करैली पर मु0अ0सं0 41/2020 धारा 363/376ए,बी भा0द0वि0 व 5ड/6 पाक्सो एक्ट व 3(2) (5ए) व 3(1) (12) एससी/एसटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।
- 2- अभियोग में आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र दिनांक- 18.03.2020 को मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
- 3- अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरूप दिनांक- 23.09.2024 को मा0 न्यायालय पास्को एक्ट कक्ष संख्या- 03 इलाहाबाद द्वारा अभियुक्त सलमान पुत्र कमरुद्दीन निवासी झोपड़ पट्टी नया रसूलपुर थाना करैली जनपद प्रयागराज को धारा 363 भा0द0वि0 में 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 5ड/6 पाक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया ।